झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/PMC/कार्य/1118/2019– 08/20-21 प्र०शी/राँची, दिनांक 04.01.2021

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आन्तिरक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **e-Governance के अन्तर्गत विभागीय MIS Cell, Web Information Cell -cum- e-Procurement Cell के रख–रखाव, आवश्यक उपकरणों/ सामाग्रियों के क्रय हेतु रू० 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश–स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग में e-Governance के अन्तर्गत विभागीय MIS Cell, Web Information Cell -cum- e-Procurement Cell के रख–रखाव, आवश्यक उपकरणों/ सामाग्रियों के क्रय हेतु रू० 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. e-Governance के अन्तर्गत विभागीय MIS Cell, Web Information Cell -cum- e-Procurement Cell के रख–रखाव, आवश्यक उपकरणों/ सामाग्रियों के क्रय हेतु राशि एवं अधिष्ठापन का स्थान परिशिष्ट–I पर संलग्न है।
3. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, राँची होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।
4. संबंधित सामग्रियों के क्रय की प्रक्रिया क्रय नियमावली के अनुसार अथवा DGS&D दर पर अथवा Gem Portal पर किया जायगा एवं निहित शर्त्तों के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया जाएगा।
5. इस कार्य पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष –80 – सामान्य, लघु शीर्ष 052 – मशीनरी तथा उपस्कर, उपशीर्ष – 70 – ई–गर्वनेन्स, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59– अन्य व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
6. ई०–गर्वनेन्स मद में वर्ष 2020–21 के स्वीकृत बजट उपबंध में कुल रू० 50.00 लाख का बजटीय उपबंध है।
7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।
9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
10. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

E:\Note 5\updared\E-Governance - 2020-21.doc

11. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

04/01/21.

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :– 1/PMC/कार्य/1118/2019– 08/20-21 प.स./राँची, दिनांक 04.01.2021

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/01/21

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/PMC/कार्य/1118/2019– 08/20-21 प.स./राँची, दिनांक 04.01.2021

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/01/21

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/PMC/कार्य/1118/2019– 08/20-21 प.स./राँची, दिनांक 04.01.2021

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/01/21

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/PMC/कार्य/1118/2019– 08/20-21 प.स./राँची, दिनांक 04.01.2021

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेष निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/01/21

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/PMC/कार्य/1118/2019– 08/20-21 प.स./राँची, दिनांक 04.01.2021

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04/01/21

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव